

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी –
वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निदेश 2016

(30 जून 2017 तक अद्यतित)

विषय सूची

परिचय	4
अध्याय I	4
1.1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	4
1.2 प्रयोज्यता	4
1.3. प्रयोजन	4
अध्याय II	5
2.1 सामान्य दिशानिर्देश	5
2. 2 धोखाधड़ियों का वर्गीकरण	5
अध्याय III.....	6
3.1. केंद्रीय धोखाधड़ी पंजीकरण (सी एफ आर)	6
3.2. भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ियों की सूचना देना	6
3.3. धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग में विलंबता	8
अध्याय IV	8
4.1 बोर्ड को प्रस्तुत रिपोर्टें	8
4.2 धोखाधड़ियों की तिमाही समीक्षा	8
4.3 धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा	9

4.4 बोर्ड की विशेष समिति.....	11
4.5 धोखाधड़ियों की कोशिश के मामले	12
अध्याय V	12
5. धोखाधड़ी संबंधी मामलों को बंद करना	12
अध्याय VI	14
6. पुलिस/सीबीआई को धोखाधड़ियों के बारे में सूचना देने हेतु दिशानिर्देश	14
अध्याय VII	16
7. चेक संबंधी धोखाधड़ी, पूर्वोपाय, आरबीआई तथा पुलिस को इसके बारे में सूचना	16
अध्याय VIII	18
8.1. ऋण धोखाधड़ी – नया फ्रेमवर्क	18
8.2 फ्रेमवर्क का उद्देश्य	18
8.3 पूर्व चेतावनी संकेतक (ईडबल्यूएस) और रेड फ्लैग खाते (आरएफ़ए)	18
8.4 जल्द पता लगाना और रिपोर्टिंग	20
8.5 स्टाफ को अधिकार देना.....	21
8.6 लेखा परीक्षकों की भूमिका	22
8.7 तत्पर रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहन	22
8.8 एकल ऋणदाता के रूप में बैंक	22
8.9 कंसोर्शियम अथवा बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत उधार देना	23
8.10 स्टाफ जवाबदेही.....	26
8.11 कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ शिकायत दर्ज करना	27

8.12 कपटी उधारकर्ताओं के लिए दंडात्मक उपाय.....	28
अध्याय IX	29
अन्य अनुदेश	29
9.1 बड़े मूल्य वाले ऋण खातों के संबंध में स्वत्वाधिकार प्रलेख विधिक लेखा परीक्षा	29
9.2 संदेहास्पद मानक / धोखाधड़ी से उत्पन्न वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतीकरण कंपनी(एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) के वित्तीय आस्तियों की बिक्री.....	29
अध्याय X	30
चोरी, सेंधमारी, डकैती और बैंक लूटने के मामलों की रिपोर्टिंग.....	30
अध्याय XI	31
निरसन	31
अनुबंध -1	32
धोखाधड़ी संबंधी मामलों की प्रस्तुति से संबंधित मासिक प्रमाण पत्र	32
अनुबंध II	33
पूर्व चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूएस)	33
अनुबंध -III	36
निरसित किए गए परिपत्रों की विषय वस्तुओं को मास्टर निदेश में शामिल कर लिया गया है - निरसित किए गए परिपत्रों की सूची	36

परिचय

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक तथा उचित है, एतद्द्वारा इसमें आगे विनिर्दिष्ट निर्देश जारी करता है।

अध्याय I

1.1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.1.1 इन निर्देशों को भारतीय रिज़र्व बैंक निर्देश 2016 (धोखाधड़ी वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों तथा चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग) कहा जाएगा। 1.1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित होने की तिथि से यह निर्देश प्रभावी होंगे।

1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित होने की तिथि से यह निर्देश प्रभावी होंगे।

1.2 प्रयोज्यता

इन निर्देशों के प्रावधान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और भारत में परिचालित कतिपय वित्तीय संस्थाओं पर लागू होंगे।

1.3 प्रयोजन

बैंकों द्वारा धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे जल्द रिपोर्ट करने के लिए ढांचा उपलब्ध हो और समय पर इससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई करने जैसे धोखेबाजों को जल्द से जल्द सामने लाने के लिए इनवेस्टीगेटिव एजेंसियों को रिपोर्ट करना ताकि, स्टाफ जवाबदेही की जांच और प्रभावी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन करने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किए जाते हैं। इन निर्देशों का यह भी प्रयोजन है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकों की रिपोर्टिंग के आधार पर, धोखाधड़ी, बेईमान उधारकर्ताओं और संबंधित पार्टियां, की सूचना का तेजी से प्रसार कर सकें ताकि उचित प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षात्मक उपाय / निवारक उपाय किए जा सकें तथा आंतरिक जांच शुरू की जा सकें और बैंकों द्वारा ऐसे पक्षों के साथ सावधानी से व्यवहार किया जा सके।

अध्याय II

2.1 सामान्य दिशानिर्देश

2.1.1 बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CMD/CEOs) "धोखाधड़ी की रोकथाम तथा प्रबंधन कार्य" पर विशेष ध्यान दें ताकि अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी मामलों की प्रभावी जांच तथा उनकी शीघ्र और अचूक रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक सहित उचित विनियामक एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों को की जा सके।

2.1.2 धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी निगरानी तथा धोखाधड़ी जांच कार्य की ज़िम्मेदारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तथा बोर्ड की विशेष समिति की होनी चाहिए।

2.1.3 बैंक, अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया एवं धोखाधड़ी जांच कार्य के लिए आंतरिक नीति तैयार करें जो जवाबदेही और उस कार्य की ज़िम्मेदारी से संबंधित गवर्नेंस के मानकों पर आधारित हो तथा ये मानक सुपरिभाषित एवं तयशुदा संगठनात्मक व्यवस्था एवं प्रचालन प्रक्रियाओं पर आधारित हो सकते हैं।

2.1.4 बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे नीचे पैरा 3.2 में दिये गए अनुसार XRBL प्रणाली पर आधारित धोखाधड़ी निगरानी विवरणी¹ प्रस्तुत करें। बैंक महाप्रबंधक की श्रेणी के एक अधिकारी को विशेष रूप से नामित करें जो इस परिपत्र में संदर्भित सभी विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

2.2 धोखाधड़ियों का वर्गीकरण

2.2.1 रिपोर्टिंग में एकरूपता लाने के लिए धोखाधड़ियों को मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- क. दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वास भंग।
- ख. जाली लिखतों, लेखा-बहियों में हेर-फेर अथवा बेनामी खातों के जरिये कपटपूर्ण नकदीकरण और संपत्ति का परिवर्तन।
- ग. पुरस्कृत करने अथवा अवैध तुष्टीकरण के लिए दी गयी अनधिकृत ऋण सुविधाएं।
- घ. लापरवाही और नकदी की कमी।
- ङ. छल और ज़ालसाजी।
- च. विदेशी मुद्रा लेन-देनों में अनियमितताएं।
- छ. अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी, जो उक्त किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत शामिल न हो।

1 फार्मेट भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट (https://rbi.org.in/scripts/Non_OSMOS.aspx) पर उपलब्ध है।

2.2.2 ऊपर मद (घ और च) में उल्लिखित मामलों जिसमें लापरवाही की वजह से हुई नकदी की कमी तथा कपटपूर्ण विदेशी मुद्रा लेन-देन अनियमितताएं / विनियमों के उल्लंघनों को धोखाधड़ी के रूप में तभी सूचित किया जाए जब छल करने/धोखा देने के इरादा साबित हो गया हो। तथापि, इसके बावजूद निम्नलिखित मामलों को धोखाधड़ी माने जाएंगे तथा तदनुसार रिपोर्ट किए जाएंगे :

(क) 10,000/- रुपये तथा उससे अधिक के नकदी की कमी के मामले, (एटीएम सहित) तथा

(ख) 5,000/- रुपये से अधिक के नकदी की कमी के मामले यदि वे प्रबंधन/लेखा-परीक्षक/निरीक्षण अधिकारी द्वारा पाए गए हों तथा नकदी का कार्य देख रहे व्यक्तियों द्वारा घटित होने वाले दिन उनकी सूचना न दी गई हो।

अध्याय III

3.1 केंद्रीय धोखाधड़ी पंजीकरण (सी एफ आर)

बैंकों और कतिपय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तुत एवं अद्यतित, धोखाधड़ी निगरानी विवरणी पर आधारित एक केंद्रीय धोखाधड़ी पंजीकरण (सीएफआर) आरंभ किया गया है जिसके लिए बैंकों को आईडी और पासवर्ड द्वारा एक्सेस दिया गया था। सीएफआर एक वेब आधारित और सुलभ डेटाबेस है पत्र आधारित सावधानी सूचना (सीए) जारी करना बंद कर दिया गया है। हालांकि, योजनाबद्ध तरीके से की जा रही धोखाधड़ियों को शामिल करते हुए जब आवश्यकता होगी सावधानी सूचना जारी की जा सकती है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि धोखाधड़ी जोखिम की समयानुसार पहचान और उससे निपटने के लिए सीए / सीएफआर का पूरा उपयोग करें। बैंकों को सूचित किया जाता है कि ऋण जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के संबंध में सीए / सीएफआर में उपलब्ध जानकारी के उपयोग के लिए उचित प्रणाली की व्यवस्था करें।

3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी की सूचना देना

3.2.1 व्यक्तिगत धोखाधड़ी मामलों में धोखाधड़ी (भले ही इसमें कितनी भी राशि शामिल हो) की निगरानी विवरणी (एफएमआर) बैंकों द्वारा, पहचान के तीन हफ्तों के भीतर XBRL प्रणाली में एफएमआर एप्लिकेशन का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना है।

3.2.2 माह के अंत से सात दिनों के भीतर, बैंक द्वारा सीएफएमसी, बेंगलूरु को अनुलग्नक- I के अनुसार, (आरबीआई को प्रस्तुत सभी एफएमआर का उल्लेख करते हुए) मासिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है जिसकी एक प्रतिलिपि बैंक के संबंधित एसएसएम को भी भेजा जाए।

3.2.3 ऐसे मामले में भी धोखाधड़ी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए जहां केंद्रीय जांच एजेंसियों ने स्वतः आपराधिक कार्यवाही शुरू की है और / या जहां रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों को धोखाधड़ी के रूप में चिह्नित किया जाए।

3.2.4 बैंक अपनी सहायक कंपनियों और संबद्ध / संयुक्त उद्यमों में हुए धोखाधड़ी की रिपोर्ट केवल हार्ड कॉपी में एफएमआर प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बैंक की सहायक / संबद्ध / संयुक्त उद्यम एक ऐसी संस्था है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है और उन सहायक / सहबद्ध / संयुक्त उद्यम द्वारा उनपर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार आरबीआई को धोखाधड़ी के मामलों में स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट किये जाने की आवश्यकता है तो इन सहायक / सहबद्ध / संयुक्त उद्यम में पाये गए धोखाधड़ी मामलों के संबंध में उनके मूल बैंक द्वारा एफ एम आर विवरणी की हार्ड कापी प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3.2.5 ऐसे बैंक (विदेशी बैंकों को छोड़कर) जिनकी शाखाएँ/कार्यालएँ विदेशों में हैं, उनमें होने वाले धोखाधड़ियों के संबंध में भी भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किया जाना है।

3.2.6 पचास मिलियन या उससे अधिक की धोखाधड़ी होने पर मुख्यालय को सूचना मिलने से एक सप्ताह के भीतर बैंकों को एफ एम आर के अतिरिक्त, बैंकों द्वारा फ्लैश रिपोर्ट (एफ आर) प्रस्तुत किया जाना है। एफ आर, अर्द्धशासकीय पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए जिसे प्रधान मुख्य महाप्रबंधक/प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रेषित किया जाए जिसकी एक प्रतिलिपि सीएफएमसी (CFMC) बेंगलूरु को भेजा जाए। अन्य बातों के साथ - साथ एफ आर में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: 1. राशि 2. धोखाधड़ी की प्रकृति 3. संक्षिप्त कार्यप्रणाली 4. शाखा/कार्यालय के नाम, शामिल पक्षों के नाम, उनकी संरचना, निदेश, और सहयोगी/मालिक के नाम, पुलिस/सीबीआई को शिकायत करने वाले और धोखाधड़ी में शामिल स्टाफ के नाम ।

3.2.7 आगे, बैंकों द्वारा XBRL प्रणाली में एफ एम आर एप्लिकेशन द्वारा धोखाधड़ी मामले में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है।

3.2.8 बैंकों से प्राप्त एफएमआर रिटर्न की छानबीन करते समय यह देखा गया है कि रिटर्न में कुछ महत्वपूर्ण जगहों को रिक्त छोड़ दिया जाता है। चूँकि, बैंकों में किए गए धोखाधड़ी का पूर्ण विवरण, निगरानी, पर्यवेक्षी उद्देश्यों और सावधानी सूचना के माध्यम से सूचनाओं के प्रसार/ केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) के लिए महत्वपूर्ण हैं, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तुत आँकड़े पूर्ण /सटीक और अद्यतित हों। यदि, किसी भी मद के संबंध में कोई भी आँकड़ा प्रदान नहीं किया जाता है, अथवा यदि एफएमआर विवरणी की रिपोर्टिंग के समय किसी मद का विवरण

उपलब्ध नहीं है, तो बैंक, "रिपोर्ट करने हेतु कोई विवरण नहीं" या "विवरण वर्तमान में उपलब्ध नहीं है" आदि दर्शा सकते हैं। ऐसी स्थिति में, बैंकों को आँकड़े एकत्र करने हैं और एफएमआर अद्यतन आवेदन के जरिये विवरणों को निरंतर रिपोर्ट करना है।

3.2.9 बंगलुरु में स्थित केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष (सीएफएमसी), बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, के पास सभी बैंकों / वित्तीय संस्थानों (एफआई) के ऐसे अधिकारियों का रिकॉर्ड होगा, जो धोखाधड़ी आदि की रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार हैं। संबंधित अधिकारियों के नामों में बदलाव के संबंध में सभी बैंक / वित्तीय संस्थानों को, केन्द्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, बंगलुरु, को सूचित करना है, जो रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए आवश्यक है।

3.3 धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग में विलंब

3.3.1 बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना – प्रणाली को उपयुक्त रूप से कारगर बनाया गया है ताकि धोखाधड़ियों से संबंधित सूचना अविलंब दी जा सके। बैंकों को चाहिए कि वे रिजर्व बैंक को सूचना देने में होने वाली देरी के संबंध में स्टाफ को जवाबदेह बनाएं।

3.3.2 धोखाधड़ियों से संबंधित सूचना देर से देने और उसके बाद बेईमान उधारकर्ताओं की कार्य-प्रणाली के संबंध में अन्य बैंकों को सतर्क करने और उनके विरुद्ध चेतावनी सूचनाएं/सीएफआर जारी करने में देरी होने से इसी प्रकार की धोखाधड़ियां किसी अन्य स्थान पर भी हो सकती हैं। अतः बैंकों को चाहिए कि वे रिजर्व बैंक को धोखाधड़ियों के मामलों की सूचना देने के लिए इस परिपत्र में निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 (ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय IV

4.1 बोर्ड को प्रस्तुत रिपोर्टें

बैंक यह सुनिश्चित करें कि 0.1 मिलियन और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों का पता लगने के तुरंत बाद उनके बोर्डों को सूचित किया जाता है। ऐसी रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित शाखा अधिकारियों तथा नियंत्रक प्राधिकारियों के स्तर पर हुई चूकों का उल्लेख किया जाए तथा धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का विवरण दिया जाए।

4.2 धोखाधड़ियों की तिमाही समीक्षा

4.2.1 जून, सितंबर तथा दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए धोखाधड़ियों से संबंधित जानकारी संबंधित तिमाही के अगले माह के दौरान निदेशक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

4.2.2 इनके साथ ऐसी अनुपूरक सामग्री होनी चाहिए, जिसमें सांख्यिकीय सूचना और प्रत्येक धोखाधड़ी के ब्यौरों का विश्लेषण किया गया हो ताकि बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के पास धोखाधड़ियों के दंडात्मक अथवा निवारक पहलुओं के संबंध में कारगर और पर्याप्त सामग्री हो।

मार्च को समाप्त वर्ष के लिए नीचे पैरा 4.3 पर निर्धारित किए गए अनुसार वार्षिक समीक्षा के मद्देनज़र मार्च को समाप्त तिमाही के लिए अलग से समीक्षा आवश्यक नहीं है।

4.3 धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा

4.3.1 बैंकों को चाहिए कि वे धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा करें तथा निदेशक बोर्ड / स्थानीय परामर्शी बोर्ड के समक्ष जानकारी देने के लिए नोट प्रस्तुत करें। मार्च को समाप्त वर्ष के लिए समीक्षा अगली तिमाही के अंत, अर्थात् 30 जून को समाप्त तिमाही से पहले बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाए। ऐसे समीक्षा नोट भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों के सत्यापन के लिए संभालकर रखा जाए।

4.3.2 ऐसी समीक्षा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित मुद्दे शामिल किये जाएं:

- (क) क्या एकबार धोखाधड़ी हो जाने पर कम से कम समय में उस का पता लगाने के लिए बैंक की मौजूदा प्रणाली पर्याप्त है?
- (ख) क्या धोखाधड़ियों की स्टाफ की दृष्टि से जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक है, वहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में आगे कार्रवाई के लिए मामले सतर्कता कक्ष को सूचित किये जाते हैं?
- (ग) क्या जहां कहीं उपयुक्त पाया गया वहां जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों को निवारक सजा दी गई?
- (घ) क्या धोखाधड़ियां प्रणालियों और क्रियाविधियों का पालन करने में शिथिलता के कारण हुईं और यदि ऐसा हो तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कारगर कार्रवाई की गयी कि संबंधित स्टाफ द्वारा प्रणालियों और क्रियाविधियों का पूरी सावधानी से पालन किया जाता है।
- (ङ) क्या धोखाधड़ियों के बारे में, यथास्थिति, स्थानीय पुलिस या सीबीआई को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच-पड़ताल के लिए सूचना दी गई है।

4.3.3 वार्षिक समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित ब्यौरों को भी शामिल किया जाए-

- (क) वर्ष के दौरान पता लगायी गई कुल धोखाधड़ियां तथा पिछले दो वर्ष की तुलना में उनमें फंसी हुई राशि।
- (ख) पैरा 2.2.1 में दी गई विभिन्न श्रेणियों के अनुसार धोखाधड़ियों का विश्लेषण तथा बकाया धोखाधड़ियों पर तिमाही रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों का भी विश्लेषण (एफएमआर 2 के अनुसार)।
- (ग) वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई मुख्य-मुख्य धोखाधड़ियों की वर्तमान स्थिति सहित उनकी आपराधिक कार्य-प्रणाली।
- (घ) 0.1 मिलियन रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ियों का विस्तृत विश्लेषण।
- (ङ) वर्ष के दौरान धोखाधड़ियों के कारण बैंक को हुई अनुमानित हानि, वसूल हुई राशि तथा किए गए प्रावधान।
- (च) जहां स्टाफ शामिल है, ऐसे मामलों की संख्या (राशि सहित) एवं उनके खिलाफ की गई कार्रवाई।
- (छ) क्षेत्र-वार/ अंचल-वार/राज्य-वार धोखाधड़ियों का विश्लेषण तथा फंसी हुई राशि।
- (ज) धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने में लगा समय (धोखाधड़ी होने के तीन महीने, छह महीने, एक वर्ष के भीतर पता लगाये गये मामलों की संख्या)।
- (झ) सीबीआई/पुलिस को रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की स्थिति।
- (ञ) धोखाधड़ी के ऐसे मामलों की संख्या जिनमें बैंक द्वारा अंतिम कार्रवाई हो गयी है और मामले निपटा दिए गए हैं।
- (ट) धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी करने/उन्हें न्यूनतम रखने के लिए बैंक द्वारा वर्ष के दौरान किये गये निवारक/दण्डात्मक उपाय।

4.3.4 बैंक धोखाधड़ी की कार्य प्रणाली के संबंध में अपनी शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों को सतर्क करने के लिए जारी किए गए परिपत्र की प्रति समय-समय पर होने वाली बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) की बैठकों में उसके समक्ष प्रस्तुत करें।

4.4 बोर्ड की विशेष समिति

4.4.1 यद्यपि बैंकों के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ACB) सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करना जारी रखेगी लेकिन बैंकों से अपेक्षित है कि वे 10 मिलियन रूपए और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों की पूरी तरह से निगरानी तथा अनुपालन हेतु एक विशिष्ट समिति (SCBF) का गठन करें। इस विशेष समिति में बोर्ड के पांच सदस्य शामिल होंगे जिसमें सरकारी बैंकों के मामले में एमडी एवं सीईओ तथा भारतीय स्टेट बैंक/उसके सहयोगी बैंकों के मामले में एमडी के अलावा एसीबी के दो सदस्य तथा भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर बोर्ड के अन्य दो सदस्य होने चाहिए। घटित मामलों की संख्या के आधार पर इस विशेष समिति की बैठकों की आवधिकता तय की जा सकती है। इसके अलावा जब कभी भी 10 मिलियन रूपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आए इस समिति की बैठक का आयोजन कर मामले की समीक्षा की जानी चाहिए।

4.4.2 10 मिलियन रूपए और उससे अधिक की धोखाधड़ियों की निगरानी एवं समीक्षा करना इस विशेष समिति का महत्वपूर्ण कार्य होगा ताकि :

- प्रणालीगत कमियों, यदि कोई हो, की पहचान करना जिससे धोखाधड़ी करने में मदद मिली हो और इसे दूर करने के लिए उपाय लागू करना।
- पता लगाने में हुए विलंब के कारणों, यदि कोई हो, की पहचान करना तथा बैंक के उच्च प्रबंधन एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना।
- सीबीआई/पुलिस जांच में हुई प्रगति एवं वसूली की स्थिति की निगरानी करना।
- धोखाधड़ियों के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ-सदस्यों की जबाबदेही सुनिश्चित करना एवं यदि जरूरी हो, बिना समय गवाएं स्टाफ पर शीघ्र कार्रवाई पूरी करना।
- धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करना जैसे कि आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करना।

4.4.3 बैंकों को चाहिए कि वे समिति के निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु नीतिगत दस्तावेज में प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख करें ताकि इन दस्तावेजों की मदद से बैंक में इस प्रयोजन के लिए गठित समर्पित इकाई को निर्देशों को लागू करने में सफलता मिल सके।

4.4.4 निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों में सतर्कता कार्य को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समान करने हेतु इस मामले में कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों एवं विदेशी बैंकों के वर्तमान सतर्कता कार्यों का परीक्षण वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ किया गया तथा यह पाया गया कि बैंकों के मध्य कार्यप्रणालियाँ व्यापक रूप से भिन्न हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों व विदेशी बैंकों हेतु विस्तृत दिशानिर्देश 26 मई 2011 को जारी किए गए ताकि समयोचित तथा उचित कार्रवाई हेतु निजी क्षेत्र के बैंको तथा विदेशी बैंकों की कार्यप्रणालियों में कमियां विशेषतः भ्रष्टाचार, कुप्रथाओं, धोखाधड़ियों इत्यादि से उत्पन्न सभी विषयों पर ध्यान दिया जा सके। उक्त विस्तृत दिशानिर्देशों का उद्देश्य आंतरिक सतर्कता के कार्य में एकरूपता तथा युक्ति संगतता लाना है। निजी क्षेत्र के बैंकों (भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों सहित) को सूचित किया गया है कि वे उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक सतर्कता तंत्र की एक प्रणाली लागू करें।

4.5 धोखाधड़ियों की कोशिश के मामले

4.5.1 बैंकों को 10 मिलियन रुपए और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ी की कोशिश के मामलों की सूचना रिज़र्व बैंक को देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बैंकों को 10 मिलियन रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ी की कोशिश के अलग-अलग मामलों की रिपोर्ट को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए। रिपोर्ट में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए:

- धोखा देने की कोशिश की कार्यप्रणाली।
- किस प्रकार की कोशिश धोखाधड़ी में परिवर्तित नहीं हो पाई अथवा कोशिश किस तरह असफल हो गई।
- मौजूदा प्रणालियों व नियंत्रणों को मजबूत बनाने हेतु बैंक द्वारा किए गए उपाय।
- जिस क्षेत्र में धोखाधड़ी का प्रयास किया गया था, वहाँ लागू की गई नई प्रणालियां व नियंत्रण।

4.5.2 इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान पता लगाए ऐसे मामलों की समेकित समीक्षा जिसमें प्रचालनों के ऐसे क्षेत्र जहाँ धोखाधड़ी की कोशिश की गई, वर्ष के दौरान नई प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों की प्रभावकारिता, पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की प्रवृत्ति, प्रक्रिया तथा प्रणाली में आगे किसी बदलाव की आवश्यकता, यदि हो, इत्यादि की सूचना, हर वर्ष 31 मार्च को संबंधित वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अध्याय V

5 धोखाधड़ी संबंधी मामलों को बंद करना

5.1 बैंकों को चाहिए कि वे 0.1 मिलियन रुपए और उससे अधिक राशि के धोखाधड़ियों के मामलों का ब्यौरा तथा उन्हें बंद किए जाने के कारण नीचे दी गई प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के एसएसएम (वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक) को रिपोर्ट करें।

5.2 बैंकों को केवल ऐसे ही मामलों को बंद करना चाहिए जिनमें नीचे लिखे अनुसार कार्रवाई पूरी हो गई हो तथा एसएसएम से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो :

- i. सीबीआई/पुलिस/न्यायालय में विचाराधीन धोखाधड़ी संबंधी जिन मामलों का अंतिम निपटान हो गया हो।
- ii. स्टाफ के उत्तरदायित्व की जांच पूरी हो गई हो।

- iii. धोखाधड़ी की राशि वसूल हो गई हो अथवा बट्टे खाते डाल दी गई हो।
- iv. जहाँ भी लागू हो वहाँ बीमा संबंधी दावे का निपटान हो गया हो।
- v. बैंक ने कार्य प्रणाली तथा कार्यविधि की समीक्षा कर ली हो, कारक घटकों का पता लगा लिया हो तथा कमियों को दुरुस्त कर लिया गया हो तथा इस तथ्य को उपयुक्त प्राधिकारी (बोर्ड/बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति) ने प्रमाणित कर दिया हो।

5.3 बैंक लंबित मामलों के अंतिम निपटान के लिए, विशेष कर ऐसे मामलों में जहाँ स्टाफ से संबंधित कार्रवाई पूरी हो गई हो, सीबीआई के साथ गंभीरता से अनुवर्ती कार्रवाई करें। इसी प्रकार, बैंक धोखाधड़ी के मामलों के अंतिम निपटान के लिए पुलिस प्राधिकारियों/न्यायालय के साथ भी गंभीरतापूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई करें।

5.4 बैंकों को सीमित सांख्यिकी/रिपोर्टिंग उद्देश्यों हेतु 2.5 मिलियन रूपए तक की राशि से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों को बंद करने की अनुमति है, जहाँ:

(क) सीबीआई/पुलिस द्वारा प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक समय तक जांच जारी है अथवा चालान/आरोप पत्र न्यायालय में दायर नहीं हुआ है, अथवा

(ख) सीबीआई/पुलिस द्वारा आरोप पत्र/चालान दायर करने के बाद, न्यायालय में मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, अथवा चल रहा है।

5.5 बैंकों से अपेक्षित है कि ऐसे मामलों को बंद करने के लिए एसएसएम से पूर्वानुमोदन लेने संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करें तथा ऐसे मामलों को बंद करने के बाद उन पर नीचे दिए अनुसार पर अनुवर्ती कार्रवाई करें।

5.6 बैंक के एसएसएम को बंद करने के लिए बैंकों को अपने प्रस्ताव मामलेवार प्रस्तुत करने होंगे। एसएसएम से अनुमोदन लेने के बाद मामला बंद किया जाए। बैंकों को एक अलग बही में ऐसे मामलों का अभिलेख रखना चाहिए। सीमित सांख्यिकीय प्रयोजन से धोखाधड़ी के मामलों को बंद किए जाने के बावजूद बैंकों को जांच एजेंसियों (सीबीआई/पुलिस) के साथ मामले का पूरी ताकत से पीछा करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच की प्रक्रिया अपने तार्किक अंजाम पर पहुंच गई है। इसीप्रकार, बैंकों को यह सुनिश्चित करना भी जारी रखना चाहिए कि न्यायालयीन कार्यवाहियों में जहां और जब भी अपेक्षित हो, उनका नियमित और उचित प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ऐसे मामलों से संबंधित सभी संगत अभिलेखों को तब तक परिरक्षित किया जाना चाहिए जब तक कि सीबीआई/पुलिस या न्यायालयों, जैसा भी मामला हो, के द्वारा मामलों का अंतिम रूप से निपटान नहीं कर दिया जाता।

5.7 बैंक अपने संबंधित बोर्ड के अनुमोदन से धोखाधड़ी मामलों को बंद करने के लिए उपर्युक्त मानदंडों को शामिल करते हुए अपनी आंतरिक नीति तथा अन्य आंतरिक प्रक्रियाएं/ नियंत्रण, जो आवश्यक समझे जाएं, बनाएं।

5.8 इस तथ्य के बावजूद कि जब पुलिस / सीबीआई द्वारा जांच की प्रक्रिया प्रगति पर हो, अथवा मामले न्यायालय में लंबित हों, तब बैंक धोखाधड़ी के मामलों को बंद कर सकते हैं, फिर भी उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्टाफ की जवाबदेही की जांच की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, या स्टाफ संबंधी कार्रवाई को पूरा करना होगा।

5.9 0.1 मिलियन रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ी को बंद करने के लिए, बैंक, ऊपर बताए गए निर्देशों के आधार पर, बैंक को अपना क्लोजर प्रस्ताव एसएसएम को प्रस्तुत करना होगा और डाटाबेस में धोखाधड़ी को बैंक के एसएसएम द्वारा बंद किया जाएगा। 0.1 मिलियन रुपए से कम की धोखाधड़ी के मामले में, बैंक उन्हें आपूर्ति किए गए एफएमआर अद्यतन आवेदन का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी को बंद कर सकते हैं।

अध्याय VI

6. पुलिस/सीबीआई को धोखाधड़ी की सूचना देने हेतु दिशानिर्देश

6.1 धोखाधड़ियों/गबन के मामलों पर कार्रवाई करते हुए बैंकों को, मात्र संबंधित राशि के शीघ्र वसूल करने के लिए ही प्रवृत्त नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें लोक-हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित होना चाहिए कि दोषी व्यक्ति दण्डित हुए बिना नहीं छूटें। अतः सामान्य नियमानुसार निम्नलिखित मामले अनिवार्यतः राज्य पुलिस के पास भेजे जाने चाहिए :

बैंक की श्रेणी	धोखाधड़ी में शामिल राशि	एजेंसी जिसके पास शिकायत दर्ज की जानी चाहिए	टिप्पणी
निजी क्षेत्र/ विदेशी बैंक	10,000 रुपए और उससे अधिक	राज्य पुलिस	यदि स्टाफ द्वारा की गई हो
	0.1 मिलियन रुपए और उससे अधिक	राज्य पुलिस	यदि बाहरी व्यक्तियों द्वारा स्वयं की गई हो और/ अथवा बैंक के स्टाफ/ अधिकारियों की मिलीभगत से
	10 मिलियन रुपए और उससे अधिक	राज्य पुलिस के अलावा एसएफआईओ, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ संकुल, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003	धोखाधड़ी के ब्योरे एसएफआईओ को एफएमआर फॉर्मेट में रिपोर्ट किए जाने चाहिए
सार्वजनिक	30 मिलियन रुपए से कम	राज्य पुलिस	यदि स्टाफ द्वारा की गई हो?

क्षेत्र के बैंक	1. 10,000 रुपए से अधिक लेकिन 0.1 मिलियन रुपए से कम		
	2. 0.1 मिलियन रुपए और उससे अधिक परंतु 30 मिलियन रुपए से कम	राज्य सीआईडी/ संबंधित राज्य की आर्थिक अपराध शाखा	संबंधित बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए
	30 मिलियन रुपए से अधिक और 250 मिलियन रुपए तक	सीबीआई	सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (जहां स्टाफ के शामिल होने का प्रथमदृष्ट्या (Prima facie) साक्ष्य हो) सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा (जहां स्टाफ के शामिल होने का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य न हो) के पास शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए
	250 मिलियन रुपए से अधिक और 500 मिलियन रुपए तक	सीबीआई	सीबीआई के बैंकिंग सुरक्षा एवं धोखाधड़ी कक्ष (BSFC) में शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए (चाहे उसमें सरकारी कर्मचारी शामिल हो अथवा नहीं)
	500 मिलियन रुपए से अधिक	सीबीआई	संयुक्त निदेशक (नीति), सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली के पास शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए

6.2 10,000/- रुपए से कम राशि की धोखाधड़ी के सभी मामले जिनमें बैंक के अधिकारी संलिप्त हों , बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख को संदर्भित किए जाने चाहिए जो कि प्रत्येक मामले की संवीक्षा करेगा तथा बैंक की संबंधित शाखा को इस विषय में निर्देश देगा कि इसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

2 इस संबंध में, सीबीसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को परिपत्र सं. 06/06/17 दिनांक 14 जून, 2017 जारी किया है।

अध्याय VII

7. चेक से संबंधित धोखाधड़ियां, एहतियाती उपाय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं पुलिस को रिपोर्ट करना

7.1 चेक संबंधी धोखाधड़ी मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए यह स्पष्ट है कि, यदि चेकों के लेन-देन और/या प्रोसेसिंग के समय तथा नए खातों के खुलने के समय समुचित सावधानी बरती गयी होती तो उनको रोका जा सकता था। इस संबंध में बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे चेक प्रस्तुति/स्वीकृति तथा खाता निगरानी प्रक्रियाओं में नियंत्रणों की समीक्षा करें तथा उन्हें सशक्त बनाएँ और यह सुनिश्चित करें कि रोकथाम उपायों सहित सभी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का संबन्धित स्टाफ/अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है ([डीबीएस. सीओ. सीएफएमसी. बीसी 006/23.04.001/2014-15 दिनांक 05 नवंबर 2014](#))। इस संबंध में रोकथाम के कुछ उपायों की निर्देशात्मक सूची भी बैंकों को दी गई थी जिसका अनुवर्तन उन्हें करना था, जैसे कि-

- i. सीटीएस-2010 के शत-प्रतिशत अनुरूपी चेकों का इस्तेमाल सुनिश्चित करना।
- ii. चेक लेन-देन सेवा शाखाओं पर बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करना। सीटीएस आधारित क्लियरिंग हेतु लगाए गए उपकरण तथा नियुक्त कर्मचारी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना ताकि यह मात्र यांत्रिक प्रक्रिया न रहे।
- iii. यह सुनिश्चित करना कि लाभार्थी के.वाय.सी (KYC) के अनुरूप है ताकि जब तक वह बैंक का ग्राहक बना रहे तब तक बैंक उससे आसानी से संपर्क स्थापित कर सके।
- iv. एक सीमा जैसे कि 0.2 मिलियन रुपये से ऊपर के सभी चेकों की यू वी लैंप से जांच करना।
- v. एक सीमा जैसे कि 0.5 मिलियन रुपये से ऊपर के चेकों की विभिन्न स्तरों पर जांच करना।
- vi. जोखिम वर्गीकरण के आधार पर नए खोले गए लेन देन खातों में जमा तथा नामे की गहन निगरानी करना।
- vii. जब चेक क्लियरिंग में प्राप्त हो जाये तो भुगतानकर्ता/आहरणकर्ता को एसएमएस अलर्ट भेजना।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि आगे चलकर बैंक अपने द्वारा संचालित किए जाने वाले चेकों की मात्रा या जोखिम वहन करने की अपनी क्षमता के आधार पर अपने बोर्ड के अनुमोदन से ऊपर उल्लिखित अधिकतम सीमा (Threshold limits) को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं।

7.2 बैंक संदेहास्पद या बड़ी राशि के चेकों (खाते के सामान्य स्तर के प्रचालनों के संबंध में) के लेन-देन हेतु निम्नलिखित निवारक उपायों पर विचार करें:

- क) फोन काल द्वारा ग्राहक को अलर्ट करना तथा भुगतानकर्ता/आहरणकर्ता से पुष्टि प्राप्त करना।
- ख) नॉन-होम चेकों के मामले में मूल शाखा से संपर्क करना।

यदि उपरोक्त उपायों को प्रणालीगत रूप से लागू करना संभव न हो तो उन्हें चयनात्मक आधार पर अपनाया जा सकता है।

7.3 यह रिपोर्ट किया गया है कि कुछ मामलों में यद्यपि मूल चेक ग्राहक के पास थे, तथापि धोखाधड़ी कर्ताओं ने उसी क्रम के चेकों को प्रस्तुत कर पैसे निकाल लिए। इस संबंध में, बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे उचित एहतियाती उपाय अपनाएं और यह सुनिश्चित करें कि गोपनीय सूचना जैसे कि ग्राहक का नाम/खाता संख्या/हस्ताक्षर, चेक क्रम संख्या तथा अन्य संबंधित जानकारी का बैंक या वेंडर (प्रिन्टर, कूरियर इत्यादि) द्वारा न तो समझौता किया जाता है और न ही उसका दुरुपयोग हो पाता है। ग्राहकों द्वारा काउंटरों पर चेक प्रस्तुत करने या वसूली बॉक्सों में डाले जाने के साथ ही चेकों की हैंडलिंग में समुचित सावधानी बरती जाये।

7.4 एकरूपता सुनिश्चित करने तथा दोहराव से बचने के लिए संक्षिप्त लिखतों (truncated instruments) के रूप में समाशोधन के लिए भेजे गए नकली/जाली लिखतों सहित जाली लिखतों से संबंधित धोखाधड़ियों की सूचना अदाकर्ता बैंकर द्वारा ही दी जाए, वसूलीकर्ता बैंकर द्वारा नहीं। ऐसे मामलों में प्रस्तुतकर्ता बैंको से यह अपेक्षित होगा कि वे पुलिस प्राधिकारियों के यहां प्राथमिकी दर्ज करवाने तथा धोखाधड़ी की भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने हेतु अंतर्निहित लिखत की जब और ज्यों मांग की जाए, तत्काल अदाकर्ता/ भुगतानकर्ता बैंक को सौंप देगा। भुगतानकर्ता बैंकर को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी न कि वसूलीकर्ता बैंकर को।

7.5 तथापि, उन लिखतों के मामलों में, जो वास्तविक हैं, लेकिन जिनका संग्रहण धोखाधड़ीपूर्वक उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उनका वास्तविक मालिक नहीं है, अथवा लिखत वसूली के ऐसे मामले में जहाँ वसूली से पूर्व रकम की जमा प्रविष्टियां कर दी गई हों तथा बाद में लिखत नकली/जाली पाई गई हो तथा अदाकर्ता बैंक द्वारा लौटा दी गई हो, वहां वसूलीकर्ता बैंक को जो धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं अथवा लिखत की वसूली से पहले रकम अदा करने की वजह से उन्हें हानि उठानी पड़ी है, को दोनों धोखाधड़ी रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को करनी चाहिए और पुलिस में शिकायत दर्ज करनी चाहिए।

7.6 एक ही बैंक की दो या अधिक शाखाओं को शामिल करते हुए रूपांतरित/जाली चेकों के संग्रहण के मामले में, जिस शाखा में रूपांतरित/जाली चेक भुनाया गया है, उस शाखा को अपने बैंक के प्रधान कार्यालय को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करनी चाहिए। उसी तरह से कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के अंतर्गत एक ही बैंक की दो या अधिक शाखाओं द्वारा रूपांतरित/जाली चेकों के भुगतान करने/भुनाने के मामले में वह शाखा जिसने रूपांतरित/जाली चेक के विरुद्ध भुगतान जारी किया है, उसे प्रधान कार्यालय को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करनी चाहिए। तत्पश्चात, उक्त बैंक का प्रधान कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक के पास धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करेगा तथा पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराएगा।

अध्याय VIII

8.1 ऋण धोखाधड़ी – नया फ्रेमवर्क

बैंक द्वारा गठित किए गए एक आंतरिक कार्यदल की सिफारिशों के आधार ऋण धोखाधड़ियों से निपटने के लिए दिनांक 7 मई 2015 के परिपत्र डीबीएस सीओ सीएफएमसी बीसी सं. 007/23.04.001/2014-15 के माध्यम से एक फ्रेमवर्क अमल में लाया गया।

8.2 फ्रेमवर्क का उद्देश्य

इस फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य है ऐसे मामलों की रोकथाम, जल्दी पहचान, रिज़र्व बैंक (प्रणाली स्तर पर समेकन, निगरानी एवं प्रसारण के लिए) एवं जांच एजेंसियों (धोखाधड़ी करनेवाले उधारकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए) को तत्काल रिपोर्टिंग तथा स्टाफ की जवाबदेही तय करने के लिए समय पर कार्रवाई करने (लापरवाही अथवा मिलीभगत, यदि कोई हो, को तय करने के लिए) की ओर बैंकों का ध्यान आकर्षित करना है। साथ ही उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इससे बैंक के सामान्य कारोबार एवं उसकी जोखिम वहन करने की क्षमता पर कोई विपरीत असर न होने पाए और उस पर कोई नई एवं भारी जिम्मेदारी न आन पड़े। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस फ्रेमवर्क में बैंकों द्वारा की जानेवाली कार्रवाई के लिए समय-सीमा भी तय की गई है। ऋण की पूरी समयावधि के दौरान समयबद्ध/चरणबद्ध कार्रवाई करने से किसी भी धोखाधड़ी की पहचान करने में बैंक को लगनेवाले समय को कम किया जा सकेगा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों प्रभावी कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। धोखाधड़ी के जारी रहने से होनेवाली हानि की मात्रा को कम करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उसकी जल्द से जल्द पहचान कर सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

8.3 पूर्व चेतावनी संकेत (EWS) और रेड फ्लैग्ड खाते (RFA)

8.3.1 एक रेड फ्लैग्ड खाता वह है जिसमें एक या अधिक EWS की मौजूदगी से धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि का अंदेशा होने लगे। किसी उधार खाते में ऐसे संकेत बैंक को धोखादायक साबित होनेवाली किसी भी कमजोरी अथवा गलत गतिविधि के प्रति तत्काल सचेत कर देंगे। बैंकों को ऐसे किसी भी EWS को अनदेखा नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें चेतावनी के रूप में लेते हुए ऐसे RFA की विस्तृत जांच पड़ताल आरंभ कर देनी चाहिए।

8.3.2 बैंकों के मार्गदर्शन हेतु कुछ EWS की एक व्याख्यात्मक सूची इस परिपत्र के परिशिष्ट I में दी गई है। बैंक इस सूची में से अपने लिए उपयुक्त संकेतों को अपनाएं अथवा अपने अनुकूल बनाएं और साथ ही अपने अनुभव, ग्राहक प्रोफाइल एवं बिजनेस माडल के आधार पर अन्य अलर्ट/संकेतों

को भी शामिल करें। बैंक द्वारा इस तरह से इकट्ठा किए गए EWS किसी खाते को RFA के रूप में वर्गीकृत करने का आधार होंगे।

8.3.3 एक बैंक के स्तर पर RFA और EWS के लिए अधिकतम सीमा है 500 मिलियन रुपये या उससे अधिक का एक्सपोजर फिर चाहे उधार देने की व्यवस्था (सोलो बैंकिंग , मल्टीपल बैंकिंग अथवा कंशोरिशियम) कोई भी हो । RFA अथवा 'धोखाधड़ी' के रूप में पहचाने गए 500 मिलियन रुपये से अधिक के सभी खातों को CRILC डाटा प्लेटफार्म पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए, साथ ही वह तारीख भी दर्शाई जानी चाहिए जिस दिन उस खाते की पहचान इस रूप में की गई थी। CRILC डाटा प्लेटफार्म का विस्तार किया जा रहा ताकि इस सुविधा को प्रदान करने में उसे सक्षम बनाया जा सके। आज की तारीख में यह ऊपर पैरा 3.2 में दर्शाए गए अनुसार रिज़र्व बैंक को की जानेवाली रिपोर्टिंग के अलावा अतिरिक्त अपेक्षा है।

8.3.4 500 मिलियन रुपये की अधिकतम सीमा से कम की ऋण धोखाधड़ी की निगरानी का तरीका कैसा हो यह प्रत्येक बैंक तय कर सकता है। तथापि, बैंक मौजूदा कट-ऑफ के अनुसार पहचाने गए खातों की रिपोर्टिंग केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक को करना जारी रखेंगे।

8.3.5 ऋण खातों में EWS का पता लगाने के कार्य को एक अतिरिक्त कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे बैंक की ऋण निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि यह एक सतत प्रक्रिया बन सके तथा ऋण जोखिम एवं धोखाधड़ी जोखिम के परस्पर प्रभाव को देखते हुए यह उधार खातों में किसी संभावित क्रेडिट हानि के लिए चेतावनी का काम करे। बड़े खातों के संबंध में यह आवश्यक है कि बैंक वार्षिक रिपोर्ट का समग्र रूप से विस्तृत अध्ययन करें न कि केवल वित्तीय विवरणों का। वे विशेष रूप से बोर्ड रिपोर्ट और मैनेजमेंट चर्चा तथा एनालिसिस स्टेटमेंट के साथ ही 'नोट्स टू अकाउंट' में पार्टियों के आपसी लेन-देन का अध्ययन करें। खातों के ऑपरेशन का कार्य देखनेवाले अधिकारी, चाहे उन्हें किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, को इसकी जानकारी दी जाए कि जैसे ही उन्हें पूर्व चेतावनी संकेतों का अंदेशा हो वे तत्काल उसकी जानकारी धोखाधड़ी निगरानी समूह (FMG) अथवा बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी अन्य समूह को दें। इस पूरी प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए रिपोर्टिंग न किए जाने अथवा रिपोर्टिंग में देरी की स्थिति में ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

8.3.6 FMG या किसी भी ऐसी नामित समिति खाते को RFA के रूप में वर्गीकृत करेगी और सीएमडी/सीईओ को RFA खातों का ब्यौरा हर महीने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8.3.7 RFA पर एक रिपोर्ट धोखाधड़ी की मॉनिटरिंग एवं फॉलो-अप के लिए गठित बोर्ड की विशेष समिति (SCBF) को प्रस्तुत की जाए । इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ की गई सुधारात्मक कार्रवाई का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाए और साथ ही उनकी मौजूदा स्थिति पर भी प्रकाश डाला जाए ।

8.4 जल्द पता लगाना और रिपोर्टिंग

8.4.1 इस समय धोखाधड़ी की पहचान में बहुत अधिक समय लग जाता है। जब किसी खाते में वसूली की कोई संभावना नहीं रह जाती तब जाकर बैंक उसे धोखाधड़ी वाले खाते के रूप में रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी से रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को सतर्कता सूचनाओं के माध्यम से धोखाधड़ी के तौर-तरीकों के बारे में अलर्ट करने में भी देरी होती है जिसका परिणाम यह होता है कि दूसरी जगहों पर उसी तरह की धोखाधड़ी की घटनाएँ घटित हो जाती हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसकी वजह से कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कपटी उधारकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में भी देरी होती है जिसके फलस्वरूप वसूली का पहलू सर्वाधिक प्रभावित होता है और उस धोखाधड़ी से होनेवाली हानि बढ़ जाती है।

8.4.2 बैंकों के लिए किसी भी उधार खाते में धोखाधड़ी को रोकने का सबसे प्रभावी जरिया होगा उनके द्वारा उधार खाते की पूरी अवधि के दौरान एक मजबूत मूल्यांकन एवं प्रभावी ऋण निगरानी प्रणाली को बनाए रखना। यदि मूल्यांकन के दौरान कोई कमजोरी रह जाए तो ऋण वितरित किए जाने के बाद प्रभावी निगरानी प्रणाली के जरिए उसकी भरपाई की जा सकती है। निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बैंकों के मिले-जुले अनुभव के विश्लेषण के आधार पर उधार की पूरी अवधि के दौरान अलग-अलग अवस्था में निम्नलिखित चेक/जांच की जानी चाहिए :

क) **मंजूरी-पूर्व:** क्रेडिट प्रोसेस के दौरान मंजूरी-पूर्व की जानेवाली जांच में बैंक के जोखिम प्रबंधन समूह (RMG) अथवा किसी अन्य उचित ग्रुप को शामिल किया जाना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से पब्लिक डोमेन से संभावित उधारकर्ता का ट्रेक रिकार्ड, कानूनी विवादों में शामिल होने, बिजनेस पर पड़े छापे, सरकारी एजेंसियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों, प्रस्तुत की गई जानकारी/डाटा की ROC जैसे अन्य स्रोतों से अधिप्रमाणन (Validation), रिज़र्व बैंक/अन्य सरकारी एजेंसियों की चूककर्ता सूची से सूचना प्राप्त करने इत्यादि का कार्य करेंगे जिसका मंजूरी देनेवाले प्राधिकारी इनपुट के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंकों को मंजूरी-पूर्व की गई इन जांचों को मंजूरी दस्तावेज के रूप में रिकार्ड में रखें।

ख) **संवितरण :** जोखिम प्रबंधन समूह द्वारा संवितरण के समय की जानेवाली जांच में मंजूरी के नियम एवं शर्तों के अनुपालन, इन नियमों एवं शर्तों में दी गई ढील के औचित्य, किस स्तर पर यह ढील दी गई इत्यादि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दी गई ढील बैंक के बोर्ड द्वारा

इस बारे में तय किए गए फ्रेमवर्क के पूर्णतः अनुरूप होनी चाहिए। एक अच्छी परंपरा के रूप में मंजूरीकर्ता प्राधिकारी को चाहिए कि वह कुछ ऐसे नियम एवं शर्तें तय करे जिन्हें 'महत्वपूर्ण' (Core) माना जाए और उनमें कोई ढील न दी जाए। ऐसी 'महत्वपूर्ण' अपेक्षाओं का पालन न किए जाने पर जोखिम प्रबंधन समूह को चाहिए कि वह तत्काल उसे मंजूरीकर्ता प्राधिकारी के ध्यान में लाए।

ग) **वार्षिक समीक्षा** : हालांकि पूर्व चेतावनी संकेतों की ट्रैकिंग द्वारा किसी खाते पर सतत निगरानी रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन बैंकों को धोखाधड़ी के मद्देनजर खातों की वार्षिक समीक्षा के समय सतर्क रहना चाहिए। समीक्षा के समय अन्य बातों के अलावा खाते में से निधि के विपथन (Diversion), स्टॉक विवरण के अनुसार स्टॉक की उपलब्धता, ग्रुप खातों में दबाव (Stress) इत्यादि पर भी टिप्पणी की जानी चाहिए। इसके अलावा RMG में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह बैंक के प्रमुख ग्राहकों के बारे में बाजार से जानकारी एकत्रित करे और ऋण अधिकारी को उससे अवगत कराए। इसके लिए उसे गोपनीय सूत्रों से जानकारी इकट्ठा करना, शेयर बाजार की हलचल पर नजर रखना, प्रेस क्लिपिंग सेवा का सहारा लेना, डाटाबेस की सतत आधार पर निगरानी करना होगा और केवल उधार लेनेवाली इकाई पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे समूह के संबंध में यह कार्रवाई करनी होगी।

8.5 स्टाफ को अधिकार देना

कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि उन्हें यदि किसी खाते में कोई गतिविधि धोखाधड़ी वाली लग रही है तो वे ऐसा लगने के कारणों सहित उसके बारे में बैंक की विसल ब्लोअर नीति के तहत उचित प्राधिकारी को रिपोर्ट करें जो बैंक के धोखाधड़ी निगरानी समूह के माध्यम से उस खाते की छान-बीन करा सकता है। FMG जरूरी स्पष्टीकरण के लिए उस कर्मचारी से बातचीत कर सकता है। ऐसे कर्मचारी को बैंक की विसल ब्लोअर नीति के तहत संरक्षण मिलना चाहिए ताकि बेवजह फंसाए जाने का डर उसे इस तरह के कदम उठाने से रोक न पाए।

8.6 लेखा परीक्षकों की भूमिका

लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षकों के सामने ऐसे मामले आ सकते हैं जहां उन्हें लगे कि किसी खाते में लेन-देन या उससे जुड़े दस्तावेज धोखाधड़ी का संकेत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें इसकी जानकारी तत्काल बैंक के शीर्ष प्रबंधन को देनी चाहिए और यदि जरूरी हो तो उपयुक्त कार्रवाई हेतु इसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ACB) के ध्यान में भी लाया जाना चाहिए।

8.7 तत्पर रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहन

बैंकों को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए तत्काल पूर्ण प्रावधान (Provision) करना होगा, फिर चाहे उस उधार खाते के लिए दी गई जमानत का मूल्य कितना भी क्यों ना हो। लेकिन यदि बैंक एक ही बार में पूरा प्रावधान करने की स्थिति में न हो तो अब वह चार तिमाहियों के दौरान ऐसा प्रावधान कर सकता है बशर्ते उसकी रिपोर्टिंग में देरी न होने पाए (देखें दिनांक 18 अप्रैल 2016 का परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16)। उपर्युक्त परिपत्र में वर्णित चार तिमाही की अवधि हेतु धोखाधड़ी खातों के लिए पूरा प्रावधान करने का विकल्प 'हानि खाते' के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए उपलब्ध नहीं होगा, अन्यथा, देरी की स्थिति में मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट (MBA) के तहत अथवा सहायता संघ (Consortium) में शामिल सदस्य बैंकों को उक्त परिपत्र के अनुसार एक ही बार में पूरा प्रावधान करना होगा। इस परिपत्र के अनुसार देरी का मतलब होगा, (i) अधिकतम छह माह की समय-सीमा वाले RFA के माध्यम से धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने अथवा (ii) बैंक द्वारा अब तक की प्रथा के अनुसार धोखाधड़ी की पहचान/घोषणा करने के एक सप्ताह के अंदर ऐसी धोखाधड़ी की सूचना केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक को नहीं दी गई अथवा उसे CRILC प्लेटफार्म, भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट नहीं किया गया।

8.8 एकल ऋणदाता के रूप में बैंक

8.8.1 ऐसे मामलों में, जहां बैंक एकमात्र उधार देनेवाला हो, वहां धोखाधड़ी प्रबंधन समूह(FMG)

यह तय करेगा कि जिस खाते में पूर्व चेतावनी संकेत देखे गए हैं उन्हें RFA के रूप में वर्गीकृत किया जाए अथवा नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द लेकिन पूर्व चेतावनी संकेत देखे जाने

के एक माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि वह खाता RFA मान लिया जाता है तो धोखाधड़ी प्रबंधन समूह यह तय करेगा कि अगली जांच क्या और किस स्तर की होगी अथवा बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए तय समय-सीमा, जो छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, के अंदर कौन सी सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

8.8.2 बैंक, RFA के बारे में किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले फोरेंसिक विशेषज्ञ (Forensic Experts) अथवा जांच के लिए बनाई गई आंतरिक टीम सहित बाहरी लेखा परीक्षकों की सहायता ले सकते हैं। इस समय-सीमा, जो छह माह से अधिक नहीं हो सकती, की समाप्ति पर बैंक या तो उस खाते को RFA के स्टेटस से बाहर करें या फिर उसे धोखाधड़ी वाले खाते की श्रेणी में डाले।

8.8.3 धोखाधड़ी प्रबंधन समूह (FMG) की टिप्पणियों/निर्णयों सहित RFA पर एक रिपोर्ट SCBF को प्रस्तुत की जाए। इस रिपोर्ट में खाते में पाए गए पूर्व चेतावनी संकेत/ अनियमितताओं को शामिल किया जाए तथा धोखाधड़ी प्रबंधन समूह (FMG) द्वारा दिए गए जांच के आदेश/प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई के संक्षिप्त ब्योरे के साथ ही उनकी मौजूदा स्थिति पर भी प्रकाश डाला जाए।

8.9 कंसोर्शियम अथवा बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत उधार देना

8.9.1 कुछ बेईमान उधारकर्ता जो 'बहु बैंकिंग व्यवस्था' के अंतर्गत ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, वित्तपोषक बैंकों में से एक को धोखा देने के बाद दूसरे वित्त पोषक बैंकों से सुविधाएं प्राप्त करना जारी रखते हैं और कुछ मामलों में उन बैंकों से उच्चतर सीमाएं भी प्राप्त कर लेते हैं। कतिपय मामलों में उधारकर्ता उस बैंक से जहाँ धोखाधड़ी की जा रही है, निधियों को दुर्विनियोजन द्वारा अंतरित करने के लिए अन्य वित्त पोषक बैंकों में खोले गए खातों का उपयोग करते हैं। ऐसा विभिन्न ऋणदाता बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु एक औपचारिक व्यवस्था की कमी के कारण होता है। धोखाधड़ी के कुछ मामलों में उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न बैंकों को दी गई जमानतें एक ही होती हैं।

8.9.2 इसे देखते हुए, उन सभी बैंकों को जिन्होंने किसी उधारकर्ता को 'मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था' के तहत वित्तपोषित किया है, कानूनी/आपराधिक कार्रवाई, वसूली हेतु फालो-अप, जालसाजी की क्रियाविधि से जुड़े ब्यौरों के आदान-प्रदान, भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ियों से संबंधित आंकड़ों/जानकारी में एकरूपता लाने के लिए आमतौर पर सहमत रणनीति के आधार पर समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए। अतएव, किसी धोखाधड़ी का पता लगाने वाले बैंक से यह अपेक्षित है कि वह इसके ब्यौरों को "मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था" में शामिल अन्य सभी बैंकों के साथ साझा करे।

8.9.3 सहायता संघ व्यवस्था में शामिल प्रत्येक बैंक को चाहिए कि वह किसी भी तरह के क्रेडिट एक्सपोजर से पूर्व उसकी विधिवत जांच करे और खातों में फंड के उपयोग के मामले में सहायता संघ के लीडर पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाए स्वतंत्र रूप से उस पर निगरानी रखे। तथापि, एस्करो खातों की निगरानी के मामले में पूरा ब्योरा सहायता संघ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए एवं उसे विधिवत दर्ज किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर जवाबदेही तय करने में आसानी हो। इसके अलावा, अब तक की परंपरा के अनुसार वार्षिक समीक्षा अथवा पूर्व चेतावनी संकेतों को ट्रैक करते समय धोखाधड़ी के नजरिए से यदि कोई प्रमुख चिंताजनक बात नजर आए तो उसे तत्काल दूसरे सहायता संघ /मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था के तहत उधार देनेवालों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। जबकि उपर पैरा 8.4.2 में कुछ उचित सावधानी उपायों को निदर्शित किया गया है, मोटे तौर पर उचित सावधानियों में बैंक द्वारा उधारकर्ता के कारोबार का स्वरूप पता करने के लिए किए गए उपाय, कारोबार के वित्तीय, वाणिज्यिक, कानूनी और परिचालन के पहलुओं से संबंधित जोखिम की पहचान तथा समझने के लिए किए गए उपाय तथा इस प्रकारों के उपायों के बाद पायी गयी जोखिम को कम करने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। उचित सावधानी बरतने से तात्पर्य परिचालक इकाइयों द्वारा बरती जानेवाली सावधानियों सहित मानक परिचालन पद्धतियों का विकास करना, तैयार किए गए मैनुअल को अद्यतन करना और ऐसी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के लिए उससे स्टाफ को अवगत कराना मात्र नहीं है।

8.9.4 किसी मानक अथवा एनपीए खाते को RFA अथवा धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का आरंभिक निर्णय प्रत्येक बैंक के स्तर पर लिया जाएगा और उस बैंक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे खाते के RFA अथवा धोखाधड़ी स्टेटस के बारे में CRILC प्लैटफार्म पर रिपोर्ट करे ताकि अन्य बैंकों को अलर्ट किया जा सके। यदि बैंक स्तर पर खाते को सीधे धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया है तो बैंक इसके पता लगने के 21 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करेगा तथा इस मामले के बारे में सीबीआई/पुलिस को भी सूचित करेगा, जैसा कि अब तक किया जा रहा है। उसके बाद 15 दिन के भीतर जिस बैंक ने उस खाते को रेड फ्लैग किया था

अथवा धोखाधड़ी का पता लगाया था वह उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सहायता संघ के लीडर अथवा मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था के तहत सबसे अधिक उधार देनेवाले बैंक से JLF की बैठक बुलाने के लिए कहेगा। ऐसा अनुरोध मिलने के 15 दिनों के भीतर JLF की बैठक अवश्य आयोजित की जानी चाहिए। यदि व्यापक सहमति बनती हो तो उस खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए अन्यथा कुल उधारी में कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले बैंकों के बहुमत की सहमति के नियम के आधार पर उस खाते को सभी बैंकों द्वारा रेड फ्लैग किया जाना चाहिए और सहायता संघ के लीडर अथवा मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था के तहत सबसे अधिक उधार देनेवाले बैंक द्वारा उसकी फॉरेंसिक लेखा परीक्षा अधिकृत अथवा आरंभ करवानी चाहिए। सहायता संघ अथवा मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था में शामिल सभी बैंक इस संबंध में होनेवाले खर्च को आपस में बांट लेंगे और ऐसी जांच के लिए जरूरी सभी सहायता प्रदान करेंगे।

8.9.5 JLF की जिस बैठक में लेखा परीक्षा करने का निर्णय लिया जाएगा उसकी तारीख से अधिकतम 3 माह के भीतर फॉरेंसिक लेखा परीक्षा पूरी कर ली जानी चाहिए। फॉरेंसिक लेखा परीक्षा पूरा होने के 15 दिनों के अंदर JLF दोबारा बैठक कर खाते के स्टेटस के बारे में आपसी सहमति अथवा ऊपर बताए गए अनुसार बहुमत के नियम के आधार पर निर्णय लेगा। यदि उस खाते को धोखाधड़ी वाले खाते के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो सभी बैंकों में उसका RFA का स्टेटस बदलकर धोखाधड़ी हो जाएगा और ऐसा निर्णय लिए जाने के एक सप्ताह के अंदर उसकी सूचना रिज़र्व बैंक एवं CRILC प्लैटफॉर्म पर दी जाएगी। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाने के 30 दिनों के अंदर, फॉरेंसिक लेखा परीक्षा अधिकृत/आरंभ करनेवाला बैंक को, सहायता संघ अथवा बहु बैंकिंग व्यवस्था के सभी बैंकों की ओर से सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इस प्रयोजन से फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करने वाला बैंक नीजि क्षेत्र का बैंक होने की स्थिति में कंसोर्शियम / एमबीए में अधिक एक्सपोजर होने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा सीबीआई में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। कंसोर्शियम / एमबीए में सरकारी क्षेत्र का बैंक न होने की स्थिति में या नीजि क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक द्वारा यह एकल उधार होने पर नीजि क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक को विद्यमान अनुदेशों के अनुसार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। यह पहली बैंक द्वारा दर्ज शिकायत के अतिरिक्त होगा जिसने धोखाधड़ी का पता लगाया और कंसोर्शियम / एमबीए को सूचना दी।

8.9.6 यह ध्यान रखा जाए कि CRILC प्लैटफार्म पर जिस तारीख को सबसे पहले सदस्य बैंक ने खाते को RFA अथवा धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट करवाया था उससे ठीक 6 माह के अंदर यह सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए।

8.10 स्टाफ जवाबदेही

8.10.1 एनपीए के रूप में पहचाने गए खातों के मामले में, बैंकों को चाहिए कि वे धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने की तारीख से छह माह के अंदर स्टाफ की जवाबदेही तय कर लें। जहां जरूरी समझा जाए अथवा आवश्यक हो वहां इस प्रक्रिया में मंजूरी अधिकारी/यों की भूमिका की भी जांच की जाए। अब तक की परंपरा के अनुसार धोखाधड़ी के संबंध में स्टाफ की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया के पूरा होने एवं की गई कार्रवाई की जानकारी SCBF के समक्ष प्रस्तुत की जाए और उनको उपलब्ध एफ़एमआर अपडेट अप्लीकेशन के माध्यम से रिज़र्व बैंक को भी सूचित किया जाए।

8.10.2 बैंक धोखाधड़ी के सभी मामलों को सतर्कता या गैर-सतर्कता के रूप में अलग-अलग कर लें। केवल सतर्कता संबंधी मामलों को जांच प्राधिकारियों को भेजा जाए। गैर-सतर्कता संबंधी मामलों की जांच एवं निपटान बैंक स्तर पर ही की जाए और इसे छह माह के अंदर पूरा कर लिया जाए। इस पर बल दिया जाता है कि बैंकों को छः माह के भीतर स्टाफ जवाबदेही संबंधी कार्य पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कम समय सीमा में संबंधित स्टाफ सदस्यों के बारे में संदेह दूर कर लेना/ विश्वास रखना उपयुक्त और वांछित है।

8.10.3 जिन मामलों में बैंक के अति वरिष्ठ कार्यपालक (Senior Executives) शामिल हों, वहां स्टाफ जवाबदेही तय करने के लिए बोर्ड/एसीबी /एससीबीएफ द्वारा कार्रवाई की जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि अति वरिष्ठ अधिकारियों में बैंकों के कार्यपालक निदेशक और प्रबंध निदेशक तथा सीईओ शामिल हैं।

8.10.4 स्टाफ की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया को इस आधार पर रोका नहीं जाना चाहिए कि उस मामले को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपा जा रहा है। आपराधिक जांच के साथ-साथ आंतरिक पूछताछ भी जारी रहनी चाहिए।

8.11 कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज कराना

8.11.1 धोखाधड़ी का पता चलते ही बैंकों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज कराने में कोई देरी न होने पाए क्योंकि हो सकता है कि ऐसी देरी से 'विश्वासजन्य' दस्तावेज खो जाएं, गवाह न मिल पाएं, उधारकर्ता गायब हो जाए और धोखेबाज उधारकर्ता द्वारा जमानत के रूप में रखी गई आस्तियों को गायब करने के साथ ही मनी ट्रेल (Money Trail) की संभावना भी धूमिल पड़ जाए।

8.11.2 यह देखा गया है कि बैंकों में सीबीआई/पुलिस के पास शिकायतें दर्ज कराने के लिए कोई केंद्र बिंदु (Focal Point) नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि बैंकों द्वारा अलग-अलग तरीके से शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं और जांच एजेंसी को बैंकों में यहां-वहां बिखरे अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है। यही वह सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से शिकायतों को FIR का रूप देने में देरी होती है। इसलिए बैंकों को यह आदेश दिया जा रहा है कि वे बैंक की ओर से सीबीआई को दर्ज की जानेवाली सभी शिकायतों के लिए एक केंद्रीय स्थल (Nodal Point) बनाएं/अधिकारी को नामित करें जो शिकायतों में पाई गई कमियों को दूर करने और समन्वय के एकल बिंदु के रूप में काम करे।

8.11.3 बैंक द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास दर्ज की जानेवाली किसी भी शिकायत को अच्छी तरह से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए और उसकी जांच अनिवार्यतः विधि अधिकारी से करवानी चाहिए। यह भी देखा गया है कि कई बार बैंक उधारकर्ताओं द्वारा की गई चीटिंग, फंड के दुरुपयोग, फंड के अन्यत्र उपयोग इत्यादि के आधार पर सीबीआई/पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं जबकि उन्होंने न तो ऐसे खातों की पहचान धोखाधड़ी के रूप में की होती है और न ही उसकी रिपोर्टिंग रिज़र्व बैंक को की होती है। चूंकि ऐसे कारण किसी भी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार होते हैं अतः बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे खातों की पहचान अनिवार्यतः धोखाधड़ी के रूप में करें और उसकी जानकारी रिज़र्व बैंक को दें।

8.12 कपटी उधारकर्ताओं के लिए दंडात्मक उपाय

8.12.1 आम तौर पर जो दंडात्मक उपाय इरादतन चूककर्ताओं पर लागू हैं वही कपटी उधारकर्ताओं पर भी लागू होंगे। कंपनियों द्वारा बैंकिंग प्रणाली से अथवा पूंजी बाजार से फंड इकट्ठा किए जाने की स्थिति में यह उपाय ऐसी कंपनी के प्रमोटर निदेशकों और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों पर भी उसी तरह लागू होंगे। विशेष रूप से, जिन उधारकर्ताओं ने चूक की है और खाते में धोखाधड़ी भी की है, उन पर धोखाधड़ी की रकम को पूरी तरह से लौटाने की तारीख से पांच साल की अवधि तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, विकास वित्तीय संस्थाओं, सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, निवेश संस्थाओं इत्यादि से बैंक वित्त लेने पर रोक लगा दी जाएगी। इस अवधि के बाद यह प्रत्येक संस्था पर निर्भर करेगा कि वह ऐसे उधारकर्ता को ऋण दे अथवा नहीं। गैर-पूर्णकालिक निदेशकों (जैसे कि नामिती निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों) के मामले में उनकी मिलीभगत के निर्णायक सबूत होने पर ही दंडात्मक प्रावधान उन पर लागू होंगे।

8.12.2 आरएफए अथवा धोखाधड़ी वाले खातों के मामले में किसी भी तरह के नवीनीकरण अथवा अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। तथापि ऐसे धोखाधड़ी मामलों में जहां वर्तमान प्रवर्तकों को नए प्रवर्तकों से बदला गया है और उधारकर्ता कंपनी को भूतपूर्व प्रवर्तकों / प्रबंधन से डिलिंक किया गया है, बैंक तथा जेएलएफ अर्थक्षमता को देखते हुए तथा भूतपूर्व प्रवर्तकों/ प्रबंधन के खिलाफ अपराधिक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे खातों की पुनर्रचना पर विचार कर सकते हैं।

8.12.3 अपराधिक शिकायत के बने रहते कपटी उधारकर्ता के साथ किसी भी तरह का सुलहकारी समझौता करने की अनुमति नहीं है।

8.12.4 उपर्युक्त उधारकर्ताओं के अतिरिक्त - धोखाधड़ी करनेवालों, तीसरी पार्टियों, यथा - बिल्डरों, वेअरहाउस/कोल्ड स्टोरेज मालिकों, मोटर वाहन/ट्रैक्टर विक्रेताओं, ट्रैवल एजेंटों इत्यादि और पेशेवरों यथा - शिल्पकारों, मूल्यांककों, सनदी लेखाकारों, अधिवक्ताओं आदि ने यदि ऋण की मंजूरी/संवितरण अथवा धोखाधड़ी करने में सहयोग हेतु उल्लेखनीय भूमिका निभायी है तो उन्हें भी उत्तरदायी ठहराना चाहिए। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे धोखाधड़ी की घटनाओं में शामिल ऐसी तीसरी पार्टियों का ब्योरा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को दें।

8.12.5 आईबीए को रिपोर्ट करने से पहले, बैंक संबंधित तीसरी पार्टियों के शामिल होने के बारे में संतुष्ट हो लें तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का भी अवसर दें। इस संबंध में बैंकों को औपचारिक कार्यविधियां अपनानी चाहिए और अपनायी गई प्रक्रियाओं को उचित ढंग से रिकार्ड किया जाना चाहिए। इन सूचनाओं के आधार पर आईबीए बारी-बारी से ऐसी तीसरी पार्टियों की सावधानी सूचियां तैयार करेगा और उन्हें बैंकों को परिचालित करेगा।

अध्याय IX

अन्य अनुदेश

9.1 बड़े मूल्य वाले ऋण खातों के संबंध में स्वत्वाधिकार प्रलेख की विधिक लेखापरीक्षा

9.1.1 बैंकों को रु.5 करोड़ तथा उससे ऊपर के सभी ऋण एक्सपोजरों के पूरी तरह चुकता हो जाने तक नियमित लेखापरीक्षा कार्य के एक भाग के रूप में उनके हक विलेख और अन्य दस्तावेजों की संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आवधिक विधिक लेखापरीक्षा तथा पुनः सत्यापन करवानी चाहिए।

9.1.2 बैंक अपने बोर्ड/ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को त्रैमासिक अंतरालों पर निरंतर आधार पर एक समीक्षा नोट प्रस्तुत करेंगे जिसमें ऐसी विधिक लेखापरीक्षाओं के संबंध में सूचना दी जाएगी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ तिमाही के लिए विधिक लेखा-परीक्षा हेतु निश्चित ऋण खातों की संख्या, कितने खातों को कवर किया गया, लेखापरीक्षकों द्वारा पाई गई कमियों की सूची, कमियों को सुधारने के लिए उठाए गए कदम, ऐसे खातों की संख्या, जिनमें सुधार नहीं किया जा सका, ऐसे मामलों में बैंक के हित की रक्षा के लिए की गई कार्रवाई, पिछली तिमाहियों से लंबित मामलों पर की गई कार्रवाई आदि पहलू शामिल किए जाने चाहिए।

9.2 संदेहास्पद मानक/ धोखाधड़ी से उत्पन्न वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री

9.2.1 यह पाया गया है कि कुछ बैंकों द्वारा कतिपय आपत्तिजनक मानकों वाले गैर-निष्पादक या निष्पादक ऋणों की पैकेजिंग करके प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेचा जा रहा है। बाद में यह पाया गया कि ये ऋण धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से प्रारंभ किए गए हैं।

9.2.2 अतएव यह सूचित किया जाता है कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर-निष्पादक या निष्पादक ऋणों की पैकेजिंग और बिक्री करते समय यह उचित रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बेचे जाने वाली आस्तियों के समूह (पूल) में धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से प्रारंभ किए गए अथवा बिक्री की तारीख को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए गए कोई ऋण शामिल नहीं हैं।

अध्याय X

चोरी, सेंधमारी, डकैती एवं बैंक लूटने के मामलों की रिपोर्टिंग

10.1 बैंकों को चाहिए कि वे बैंक में लूटमारी, डकैती, चोरी तथा सेंधमारी की घटनाओं के घटित होते ही उनकी रिपोर्ट तत्काल फैक्स/ई-मेल द्वारा निम्नलिखित प्राधिकारियों को देने की व्यवस्था करें-

(क) केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बेंगलूर

(ख) बैंक का एसएसएम

(ग) डीबीएस का क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रभावित बैंक शाखा स्थित है ताकि क्षेत्रीय कार्यालय राज्य स्तरीय सुरक्षा बैठकों के दौरान संबंधित प्राधिकारियों के साथ सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित मामलों को उठा सके (पृष्ठांकन)।

(घ) सुरक्षा परामर्शदाता, केंद्रीय सुरक्षा कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई - 400 001.

(ङ) वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, जीवन दीप, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल है: (1) शाखा का नाम (2) पता (3) जिला (4) राज्य (5) शाखा के प्रकार [ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/ महानगर] (6) जोखिम का वर्गीकरण (उच्च/सामान्य/निम्न) (7) क्या यह करेंसी चेस्ट शाखा है (8) मामलों का प्रकार (डकैती/लूटमारी/चोरी/सेंधमारी) (9) घटना की तिथि एवं समय (10) शामिल राशि (लाख रुपए में) (11) वसूली गई राशि (लाख रुपए में) (12) कार्य-प्रणाली (13) पुलिस स्टेशन का नाम जहां घटनाओं को रजिस्टर किया गया।

10.2 बैंकों को एक्सबीआरएल सिस्टम में प्रदान किए गए अप्लीकेशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक में लूटमारी, डकैती, चोरी तथा सेंधमारी के संबंध में तिमाही रिटर्न³ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तिमाही के दौरान उक्त पैरा 10.1 के अनुसार रिपोर्ट किए गए सभी मामले शामिल हैं। यह संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3 फॉर्मेट भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट (http://rbi.org.in/scripts/Non_OSMOS.aspx) पर उपलब्ध है।

अध्याय XI

निरसन

इन निदेशों को जारी करने के फलस्वरूप निरस्त माने गए परिपत्रों की सूची अनुबंध III में दी गई है।

धोखाधड़ी के मामलों की प्रस्तुति से संबंधित मासिक प्रमाण पत्र

बैंक का नाम:

दिनांक :

..... माह का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि माह के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जानेवाले निम्नलिखित धोखाधड़ी संबंधी मामलों की सॉफ्ट कॉपी भारतीय रिज़र्व बैंक को ई-मेल के माध्यम से भेजी जा चुकी है।

क्रम संख्या	धोखाधड़ी संख्या	पार्टी का नाम	शामिल राशि (लाख रुपए में)	भेजने की तारीख

हस्ताक्षर:

प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पदनाम:

पूर्व चेतावनी संकेतक (ईडबल्यूएस)

कुछ पूर्व चेतावनी संकेत जो बैंक अधिकारियों को ऋण खातों में होने वाले उलटफेर, जो बाद में धोखाधड़ी में परिवर्तित हो सकते हैं, के लिए सावधान करेंगे

1. (क) वार्षिक रिपोर्ट में घोषित सांविधिक संस्थाओं के अविवादित भुगतान में चूक होना
(ख) अधिक मूल्य वाले चेकों का बाउंस होना
2. उधारकर्ता के प्रोजेक्ट के दायरे में बार-बार बदलाव
3. बैंकों के पास विदेशी बिलों का अधिक समय तक बकाया रहना तथा बिलों के अतिदेय होने की प्रवृत्ति
4. बकाया राशियों के भुगतान में देरी
5. बार-बार बैंक गारंटी का उपयोग करना तथा एलसी को डिवोल्व करना
6. इन्वेटरी का कम बीमा लेना अथवा ज्यादा बीमा लेना
7. टीएएन (TAN) और अन्य ब्योरा रहित इन्वायस
8. समपार्श्विक जमानत के स्वामित्व पर विवाद
9. सामान्य स्थिति में बकाया ऋण राशि की अदायगी के लिए अन्य बैंकों से फंड लेना
10. मर्चेण्टिंग ट्रेड में, बैंक को 'Import Leg' के बारे में नहीं बताना
11. उधारकर्ता द्वारा छोटे-मोटे कारण बताकर गोदाम के निरीक्षण को टालने का अनुरोध
12. ब्याज के भुगतान के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की मंजूरी
13. विद्यमान प्रभार धारक की एनओसी के बिना एक ही कोलेटरल को एक से अधिक उधार देनेवालों को प्रभार बनाना
14. मास्टर एग्रीमेंट, बीमा कवर आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छिपाना
15. उधार ली गई राशि का निवेश कर फ्रंट/ एसोशिएट कंपनी खोलना
16. स्टॉक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उजागर विवेचनात्मक मुद्दे
17. आरओसी सर्च रिपोर्ट में पाई गई देयताओं को उधारकर्ता द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में न दर्शाना
18. सामान्य प्रयोजनों के लिए बार-बार ऋण का अनुरोध

19. बारंबार तदर्थ मंजूरियाँ
20. बिक्री से मिलनेवाली राशि को कंसोर्टियम/सदस्य बैंक/ कंपनी के उधारदाता के माध्यम से न भेजना
21. अंतर्निहित कारोबार लेन-देन के बिना स्थानीय व्यापार/आपस में जुड़ी पार्टियों के बीच लेन-देन हेतु जारी एलसी
22. असंबंधित पार्टियों को बड़ी राशि वाले आरटीजीएस भुगतान
23. उधार खातों में बड़े नकद आहरण
24. अनुरोध पर मूल बिलों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत न करना
25. इनवेंटरी में उल्लेखनीय बदलाव जो कुल बिक्री में हुई वृद्धि की तुलना में गैर-आनुपातिक रूप से भिन्न हो
26. प्राप्य राशियों में उल्लेखनीय बदलाव जो कुल बिक्री में हुई वृद्धि की तुलना में गैर-आनुपातिक रूप से भिन्न हो और/अथवा प्राप्य राशियों की परिपक्वता में वृद्धि
27. अन्य चालू आस्तियों में गैर-आनुपातिक वृद्धि
28. कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में कार्यशील पूंजी उधार में उल्लेखनीय वृद्धि
29. दीर्घावधि स्रोतों में समरूप वृद्धि के बिना अचल आस्तियों में वृद्धि (जब प्रोजेक्ट को कार्यान्वित किया गया)
30. उधारकर्ता के तुलन पत्र में भारी नकद राशि और उसके समकक्ष राशियों के बावजूद, उधार में वृद्धि
31. लेखा अवधि और/अथवा लेखा नीतियों में बार-बार परिवर्तन
32. प्रोजेक्ट की लागत जो प्रोजेक्ट को स्थापित करने की मानक लागत से काफी भिन्न ग हो
33. अस्वीकृत ऋण दावे की अधिकता
34. वर्ष-दर-वर्ष बिल रहित राजस्व में पर्याप्त वृद्धि
35. आपस में जुड़ी कंपनियों के साथ बड़ी संख्या में लेन-देन तथा ऐसी कंपनियों के पास बहुत अधिक बकाया का होना
36. आपस में जुड़ी पार्टियों में अत्यधिक लेन-देन
37. वार्षिक रिपोर्ट में वस्तुगत (Material) विसंगतियाँ
38. वार्षिक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण अनियमितताएं (विभिन्न खंडों के बीच)

39. वस्तुगत प्रतिकूल सूचनाओं का खराब प्रकटीकरण और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लेख न किया जाना
40. आय कर / बिक्री कर / केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा छाप्रा
41. प्रमोटर / निदेशक के शेयर में अत्यधिक कमी अथवा प्रमोटर / निदेशक के भारग्रस्त शेयर में वृद्धि
42. प्रमुख अधिकारियों का पद त्याग तथा प्रबंधन में बारंबार परिवर्तन

निरसित किए गए परिपत्रों की विषय-वस्तु मास्टर निदेश में शामिल कर ली गई है,
अतः निरसित परिपत्रों की सूची निम्नवत है:

क्र.सं.	परिपत्र सं	परिपत्र की तारीख	विषय
1	डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी.सं. 007/23.04.001/2015-16	21 जनवरी, 2016	धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और निगरानी
2	डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी.सं. 007/23.04.001/2014-15	07 मई, 2015	ऋण संबंधी धोखाधड़ियों से निपटने के लिए रूपरेखा
3	डीबीएस.सीओ.सीएफ़एमसी.बीसी.0 06/23.04.001/2014-15	05 नवंबर, 2014	चेक संबंधी धोखाधड़ी मामले – रोकथाम के उपाय
4	डीबीएस.एफ़आरएमसी.बीसी.सं.7/ 23.04.001/2012-13	07 जून, 2013	बड़ी राशि वाले ऋण खातों के संबंध में स्वत्व-दस्तावेजों की विधिक लेखा परीक्षा
5	डीबीएस.सीओ.एफ़आरएमसी.बीसी. सं. 04/23.04.001/2012-13	15 नवंबर, 2012	धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग
6	डीबीएस.सीओ.एफ़आरएमसी.सं. 13877/23.04.001/2010-11	05 अप्रैल, 2011	सिक्यूरिटाइजेशन कंपनी / रीकन्स्ट्रक्शन कंपनी को संदिग्ध स्टैंडर्ड / धोखाधड़ी गतिविधियों से उत्पन्न वित्तीय आस्तियों की बिक्री – रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ
7	डीबीएस.सीओ.एफ़आरएमसी.बीसी. सं. 7/23.04.001/2008-09	05 जून, 2009	धोखाधड़ी संबंधी मामलों को बंद करना – वर्तमान मानदंडों में शिथिलता